भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 908
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

908. श्री अनिल यशवंत देसाई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष रूप से कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी इस प्रकार के लंबित मामलों का संज्ञान लिया है और अवकाश में कमी, काम के घंटे बढ़ाने जैसे कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विभाग के एमआईएस पोर्टल के अनुसार, 03.02.2025 तक देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की 5292 पद रिक्त हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम विरचित करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ, कुछ समय-सीमाएं नियत की हैं, जिनका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अनुपालन किया जाता है। विगत पांच वर्ष के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण राज्य-वार **उपाबंध-1** पर दिया गया है।

(ख) : विधि आयोग ने "न्यायपालिका में सुधार – कुछ सुझाव" पर अपनी 230वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ, सुझाव दिया कि आश्चर्यचकित करने वाले बकाया मामलों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायपालिका में छुट्टियों को कम से कम 10 से 15 दिनों तक कम किया जाना चाहिए और न्यायालय के कार्यसमय को कम से कम आधे घंटे तक बढ़ाया जाना चाहिए। अंगीकरण के लिए सुझावों पर विचार करने के लिए रिपोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को अग्रेषित किया गया था।

उच्चतम न्यायालय (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, जिसने उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 में संशोधन किया, "न्यायालय के आंशिक कार्य दिवसों की लंबाई और न्यायालय तथा न्यायालय के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की संख्या वह होगी जो मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियत की जाए और राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी जो रविवार के सिवाय पंचानबे दिन से अधिक न हो।

उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दिवसों के साथ-साथ कार्य घंटे भी संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

****

उपाबंध-1

'न्यायालयों में लंबित मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 908 जिसका उत्तर तारीख 07.02.2025 को दिया जाना के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

विगत पांच वर्ष के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियां													
क्र.सं.	**राज्य/संघराज्यक्षेत्र**	**31.12.2020 तक**		**31.12.2021 तक**		**31.12.2022 तक**		**31.12.2023 तक**		**तारीख 13.12.2024**		**03.02.2025 तक**	
		स्वीकृत पद संख्या	**रिक्तियों**	**स्वीकृत पद संख्या**	**रिक्तियों**	**स्वीकृत पद संख्या**	**रिक्तियों**	**स्वीकृत पद संख्या**	**रिक्तियों**	**स्वीकृत पद संख्या**	**रिक्तियों**	**स्वीकृत पद संख्या**	**रिक्तियों**
1	आंध्र प्रदेश	607	97	607	116	607	73	618	83	623	59	639	75
2	तेलंगाना	474	96	474	49	560	150	560	115	560	115	560	115
3	अरुणाचल प्रदेश	41	9	41	9	41	8	44	10	44	11	44	11
4	असम	466	54	467	31	485	60	485	46	485	24	485	24
5	बिहार	1936	503	1954	560	2016	667	2016	1550	2019	483	2019	483
6	चंडीगढ़	30	4	30	0	30	0	30	1	30	0	30	0
7	छत्तीसगढ़	480	93	482	73	527	90	562	139	663	198	663	198
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	7	1	3	1	7	1	7	1	7	1	7	1
9	दिल्ली	799	151	884	192	884	203	887	89	897	94	897	94
10	गोवा	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10
11	गुजरात	1521	369	1523	400	1582	431	1720	545	1720	535	1720	535
12	हरियाणा	772	279	772	290	772	308	772	208	781	229	781	230
13	हिमाचल प्रदेश	175	14	175	15	179	16	179	21	179	19	179	19
14	जम्मू - कश्मीर	296	41	300	59	314	91	317	94	322	46	322	43
15	लद्दाख	16	8	17	8	17	8	17	7	17	6	17	6
16	झारखंड	675	131	675	152	694	186	693	181	705	199	705	199
17	कर्नाटक	1357	286	1363	276	1365	233	1375	225	1375	219	1375	221
18	केरल	538	68	569	81	595	122	605	91	611	77	612	79
19	लक्षद्वीप	3	0	3	0	4	0	4	1	4	0	4	0
20	मध्य प्रदेश	2021	411	2021	469	2021	372	2028	298	2028	337	2028	336
21	महाराष्ट्र	2190	250	2190	250	2190	250	2190	250	2190	250	2190	250
22	मणिपुर	54	18	59	17	59	17	59	10	62	13	62	13
23	मेघालय	97	48	97	48	99	48	99	42	99	43	99	42

24	मिजोरम	64	21	65	23	74	33	74	33	74	29	74	29
25	नागालैंड	33	7	34	10	34	10	34	10	34	10	34	10
26	ओडिशा	950	194	976	191	1001	234	1008	205	1041	200	1041	200
27	पुडुचेरी	26	15	26	15	28	17	29	19	36	10	36	10
28	पंजाब	692	99	692	85	797	208	797	212	804	81	804	81
29	राजस्थान	1489	197	1549	275	1587	331	1638	296	1641	328	1654	342
30	सिक्किम	25	5	28	8	30	9	35	12	35	12	35	12
31	तमिलनाडु	1298	249	1316	234	1340	272	1371	331	1369	346	1369	346
32	त्रिपुरा	120	23	122	25	128	20	128	20	133	24	133	24
33	उत्तर प्रदेश	3634	1053	3634	1092	3647	1173	3696	1247	3700	996	3700	996
34	उत्तराखंड	297	42	299	28	299	30	298	27	298	28	298	28
35	पश्चिमी बंगाल	1014	83	1014	83	1014	83	1014	83	1105	230	1105	230
36	अंदमान निकोबार												
कुल		**24247**	**4929**	**24515**	**5175**	**25077**	**5764**	**25439**	**5428**	**25741**	**5262**	**25771**	**5292**

****